संख्या-127/2018/1176/26-3-2018-100(115)/99

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 अप्रैल 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0 लखनऊ की योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-39/1-34/2017-18/बजट/शो0प्र0सं0, दिनांक-17.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231//2018 दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन अनुदान संख्या-81 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की निम्नलिखित योजना मदों हेतु उनके नाम के सम्मुख कालम में अंकित कुल धनराशि रूपया-250.33 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख तैतीस हजार मात्र) अवमुक्त/स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान वर्ष 2018-19	स्वीकृत की जा रही धनराशि
राजस्व लेखा अनुदान संख्या-81 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-19-अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ शोध एवं प्रशिक्षण योजनायें-		
01- वेतन	173.63	173.63
02- मजदूरी	2.50	2.50
03- मँहगाई भत्ता	17.36	17.36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

04- यात्रा व्यय	3.00	3.00
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.40	0.40
06- अन्य भत्ते	13.63	13.63
07- मानदेय	1.50	1.50
08- कार्यालय व्यय	1.50	1.50
09- विदयुत देय	2.00	2.00
10-जलकर/जलप्रभार	0.05	0.05
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.60	0.60
12- कार्यालय फर्नीचर और उपकरण	2.00	2.00
13- टेलीफोन पर व्यय	0.35	0.35
15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	7.00
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.50	0.50
18-प्रकाशन	0.50	0.50
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.10
22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.20	0.20
41- भोजन व्यय	2.00	2.00
42- अन्य व्यय	0.30	0.30
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.37	0.37
45- अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.50
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
49- चिकित्सा व्यय	2.00	2.00
51- वर्दी व्यय	0.10	0.10
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	15.24	15.24
कुल योग-	**250.33**	**250.33**

(रूपये दो करोड़ पचास लाख तैतीस हजार मात्र)

(1)- उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लाभार्थियों हेतु किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक-30 मार्च 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0संख्या- 127/2018/1176(1)/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3-निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
4-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3
5-वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
6-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7-गार्डफाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।